राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 132/2014
विजय सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मुंशी के पद पर दिनांक 01.04.1987 को वन विभाग में हुई थी। वर्क चार्ज नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1989 को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। उसके पश्चात 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्थायी घोषित करते हुए राजस्थान सेवा नियमों की परिधि में लाया गया और अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला में रखा गया। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 01.04.1997 से वन विभाग का नियमित कर्मचारी है। इसके पश्चात अपीलार्थी को अधिशेष (Surplus) घोषित करते हुए अपीलार्थी की सेवाएं पंचायती राज विभाग में समायोजित की गई और अपीलार्थी को ग्राम सेवक का पद पंचायती राज विभाग में प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि पंचायती राज विभाग द्वारा स्थायी वरियता सूची प्रकाशित की, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया कि अपीलार्थी की सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक अथवा स्थायीकरण की दिनांक से गिनी जानी चाहिए। पंचायती राज विभाग ने अपीलार्थी की सेवा की गणना पंचायती राज विभाग में कार्यग्रहण की दिनांक 13.06.2000 से कर रहा है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्योवदन पर ध्यान न देते हुए ग्राम सेवकों की वर्ष 2012–13 की अंतिम वरियता सूची दिनांक 12.12.2013

को प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम 5300 पर रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को गलत प्रकार से वरियता प्रदान की गई है। अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक अथवा उसके नियमितिकरण की दिनांक से वरियता प्रदान की जानी चाहिए थी, जो वन विभाग द्वारा प्रदान की गई है। अतः अपीलार्थी वन विभाग में हुई नियमितिकरण की दिनांक से ही पंचायती राज विभाग में वरियता प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी Rajasthan Civil Services (Absorption and Surplus Personnel Rules 1969 के अंतर्गत अधिशेष कर्मचारियों की वरियता उनके पूर्व के विभाग में नियमित नियुक्ति से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के मामले में भी अपीलार्थी को पंचायती राज विभाग में सेवाग्रहण करने की वरिष्ठता दी जा रही है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत WLC1991(1) Raj. 118 भंवरलाल मालाकार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अधिशेष कर्मचारियों को नियमितिकरण की दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी के अनुसार वह पूर्व में वन विभाग का कर्मचारी था एवं उसका नियमितिकरण वन विभाग में हो चुका है और अपीलार्थी वन विभाग में नियमित कर्मचारी माना गया था। अपीलार्थी की नियमितिकरण की दिनांक 01.04.1997 थी। बाद में अपीलार्थी ने दिनांक 27.05.2000 को अधिशेष कर्मचारियों के रूप में पंचायती राज विभाग में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 27.05.2000 से वरिष्ठता दी गई है, जबकि अपीलार्थी उसकी नियमितिकरण की दिनांक 01.04.1997 से वरिष्ठता प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारे मत में अपीलार्थी को पूर्व विभाग द्वारा समायोजन के पूर्व दिनांक 01.01.1998 से नियमित घोषित कर दिया था, जिसके संबंध में आदेश उप वन संरक्षक जयपुर–पश्चिम द्वारा दिनांक 30.03.1998 को पारित किया गया, जो अनुलग्नक–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी दिनांक 01.01.1998 से नियमित कर्मचारी के रूप में वन विभाग में

कार्यरत था। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने के उपरांत अपीलार्थी ने ग्राम सेवक के पद पर पंचायती राज विभाग में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने में अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं थी। अतः अपीलार्थी ने जो पूर्व में सेवा में नियमित होने के पश्चात वन विभाग जो सेवाएं दी है, उनको नए विभाग में वरिष्ठता के लिए नहीं देखा जाना उचित नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत WLC1991(1) Raj. 118 भंवरलाल मालाकार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में Rajasthan Civil Services (Absorption of Surplus Personnel) Rules, 1969- Rules 15(1)&(2)&7 को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार निर्णय पारित किया हैः–

> " Thus, a bare reading of Rule 15(1) shows that the seniority of a surplus employee appointed substantively to a permanent post shall be determined as laid down therein and if a surplus employee is appointed to a new post in a temporary or ad-hoc capacity, sub-rule (2) shall be applicable to him. As is evident from Rule 7, since the petitioner was holding appointment from 1974 in substantive capacity, he was entitled to be appointed substantively on a permanent post, if the post is clearly vacant. However, the petitioner was appointed on temporary basis, even though, in violation of Rule 7 of the Rules, 1969. It may also be pointed out that in Anx.8 issued by the General Administration Department, the petitioner was directed to be abosrbed on the post of Excise Inspector, but it is not mentioned that he shall be absorbed on temporary basis. Anx. 9 is only a formal order issued by the Commissioner, Excise Department, in obedience to Anx.8 issued by the General Administration Department. It is mentioned in Anx.8 itself that only formal orders shall be issued by the Department, where the surplus employee has been sent on a particular post. Therefore, there was no occasion/reason to have absorbed the petitioner on temporary basis on the post of Excise Inspector Grade II. It was pointed out by the learned counsel for the petitioner that there was no choice for the petitioner, but to accept the appointment and the only alternative available with him was to quit the job, which he could not afford. It was also pointed out by the learned counsel that the petitioner has mentioned in para 13 of the petition, protesting that he should not be

compelled to appear in Departmental Examination vide two letters dated August 18,1982 and November 14,1982, but with no result. Therefore, he had no choice but to appear in the Departmental Examination and to pass out the same, which he did. So far as the objection regarding application of doctrine 'Waiver & Estoppel' is concerned, we are of the opinion that the same is not aplicable to the facts and circumstances of the Present case. The petitioner has been representing and protesting since the begin ning, when proper seniority was not assigned to him. The learned counsel for the respondents pointed out that under Rule 18 of the Rules, 1969, the petitioner had option within 30 days of the receipt of absorption order for permanent absorption, otherwise his services shall be treated by the Government in accordance with the provisions of Rajasthan Service Rules, 1951. In our opinion, Rule 18 is not applicable to the facts & circumstances of the present case, since the petitioner was quite willing to work on the post of Excise Inspector Grade II and, therefore, the question of his exercising the option by the petitioner to quit the job did not arise. What is agitated is only the improper placement of the petitioner in the seniority list issued by the Excise Department. We also do not find any force in the contention of the learned counsel for the respondents that he could not have been appointed on permanent basis, unless he went through the process as laid down in the Rajasthan Excise Rules, 1956 for the simple reason that the petitioner had already gone through the process of selection and appeared before the duly constituted Committee for his appointment and, thereafter, he was appointed as Inspector Grade II. Therefore, it was not necessary for the petitioner to undergo the process afresh as laid down under the Rajasthan Excise Rules, 1956.

7. We are, therefore, of the considered opinion that this writ petition should be allowed. It is, therefore, directed that the order of the Tribunal dated December 29, 1989 (Anx.17) passed in Appeal No.46/88 is quashed & set aside. It is further directed that the seniority lists dated November 28, 1997 (Anx.14) and September 8, 1989 (Anx.15), so far as they relate to the petitioner, are also

quashed & set aside and respondent No.2 The Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur, is directed to determine the seniority of the petitioner under Rule 15(1) of the Rules, 1969 and he be given benefits of the substantive service w.e.f. March 1, 1974 & be placed above the Inspectors Grade II, who were appointed after March 1, 1974.

8. The writ petition is allowed. No order as to costs."

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके द्वारा पूर्व में नियमित पद पर कार्य किये जाने की दिनांक से गिनी जानी चाहिए। अतः हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर वरिष्ठता प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वन विभाग में नियमितिकरण की दिनांक 01.01.1998 से सेवा की गणना की जाकर अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर उचित वरिष्ठता प्रदान की जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)